न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01 / 2026 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. 14 / 2026

उनवान

1— साजिद हुसेन उर्फ शैखू पुत्र लियाकत हुसेंन आयु 27 वर्ष

2— शहादत हुसैन पुत्र लियाकत हुसेन आयु 25 वर्ष

3— शहनाज पुत्र लियाकत हुसेंन आयु 23 वर्ष जाति मुसलमान निवासी हाथीथान चन्द्रधटा कोटा,जिला कोटा

(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास,जिला कोटा ।

(रैस्पोडेन्ट्स)

उपस्थित :— अभिभाषक श्री संजय शर्मा (अपीलान्ट)
सरकार पैरोकार (रैस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 15.12.2025 तहसीलदार कनवास

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः— 29/1/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कुराड तहसील कनवास में खाता सं. 271 की ख.न. 1161 / 1871 की 0.20 है0 खसरा नम्बर 698 की 4.42 है0 कुल दो किता की 4.62 है0 एवं खाता सं. 239 की खसरा नम्बर 1161,1828,1832,699 कुल किता 4 की 6.07 है0 भूमि खातेदार फाखरा नसीम आरा कर नाम दर्ज चली आ रही थी। उक्त खातेदार द्वारा उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 2.3.2020 को कार्यालय उपपंजीयक कोटा के यहा अपीलान्ट के पक्ष मे पंजीयन करवाया गया है। खातेदार फाखरा नसीम आरा की मृत्यु दिनांक 17.01.2025 को हो गई है।

अपीलान्ट मृतक खातेदार की वसीयत अनुसार ग्राम कुराड की खाता सं. 271 की ख.न. 1161 / 1871 की 0.20 है0 खसरा नम्बर 698 की 4.42 है0 कुल दो किता की 4.62 है0 एवं खाता सं. 239 की खसरा नम्बर 1161,1828,1832,699 कुल किता 4 की 6.07 है0 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट ने तहसीलदार कनवास के संमक्ष उक्त भूमि की वसीयती इंतकाल अपीलान्ट के नाम खोलने हेतु आवेदन दिनांक

अति० जिला कलक्टर
कोटा

17.07.2025 को प्रस्तुत किया गया जिस पर वसीयत की जॉच की गई अपीलान्ट के गवाहो के बयान लिये गये। पटवारी हलका से रिपोर्ट तलब कि गई,किन्तु तहसीलदार ने यह मानकर कि खाता संख्या 271 की भूमि पर सिविल न्यायालय से आदेश बिना न्यायालय की अनुज्ञा के सम्पूर्ण खाते मे हस्तान्तरण नही किये जाने के निर्देश है, अंकित हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश निर्णय दिनांक 15.12.2025 से खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास का निर्णय दिनांक 15.12.2025 विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार कनवास का निर्णय दिनांक 15.12.2025 निरस्त किया जावे व स्व0 फाखरा नसीम आरा की वसीयत के अनुसार ग्राम कुराड की खाता सं. 271 की ख.न. 1161/1871 की 0.20 है0 खसरा नम्बर 698 की 4.42 है0 कुल दो किता की 4.62 है0 भूमि अपीलान्ट के नाम खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर। रेस्पोडेन्ट की तलबी की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने बाबत खारिज कर दिया। अतःअपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कनवास का निर्णय दिनांक 15.12.2025 निरस्त किया जावे व स्व0 फाखरा नसीम आरा की वसीयत के अनुसार ग्राम कुराड की खाता सं. 271 की ख.न. 1161/1871 की 0.20 है0 खसरा नम्बर 698 की 4.42 है0 कुल दो किता की 4.62 है0 भूमि अपीलान्ट के नाम खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात् के संबध में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2025 में अंकित किया है कि " पंजीकृत वसीयतनामा में उल्लेखित खसरा नम्बर 699 रकबा 1.55 है. ख.न. 1161 रकबा 0.20 है0 ख.न. 1828 रकबा 3.61 है0 ख.न. 1832 रकबा 0.71 है0 सहित वर्तमान खाता संख्या 239 में दर्ज संपूर्ण आराजी पर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कोटा व माननीय न्यायालय अपर जिलाधीश क्रम 4 कोटा का स्थगन होने व बिना न्यायालय की अनुज्ञा के संपूर्ण खाते में हस्तांतरण नही किये जाने के निर्देश है "

अतः न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2025 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/4/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

अति० जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा